मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 12-3/2015/54-1 ———— भोपाल दिनांक 19.06.2018

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये गए हैं।

राज्य शासन द्वारा मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 05/06/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रतिस्थापित नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. नियम कण्डिका क्रमांक 3.11 में संशोधन किया जाता है कि – "ऐसे छात्र, जो पूर्णकाल/अंशकाल नियोजन में हो, इसके पात्र नहीं होंगे, तदापि, नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

ऐसे नियोजित विद्यार्थी जिनकी आय उनके माता/पिता/अभिभावकों की आय सहित रूपये **3,00,000/– (राशि रूपये तीन लाख)** वार्षिक से अधिक न हो, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इसमें पात्र सभी अनिवार्य देय जो वापिस न करने योग्य हो शुल्क ही देय होगा।

2. **नियम कण्डिका क्रमांक 5.1 – अनुरक्षण भत्ता में निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं –**

क्र	समूह	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (रूपये प्रतिमाह)	
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1	समूह–1 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, भारतीय चिकित्सा में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नहीं हैं) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित विधि विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम सी.पी.एल./सी.ए./सी.एस./एम–फिल/पी.एच.डी/डी.एस.सी/डी.लिट/एल.एल.एम. आदि	रूपये 850/–	रूपये 380/–
2	समूह–2 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया	रूपये 450/–	रूपये 230/–

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

19.6.18

	तथा होम्योपैथिक) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध/होटल प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम, नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रबंध, चार्टर्ड एवं लागत/निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	.....	
3.	समूह–3 बी.ए/बी.एस.सी/बी.काम/बी.एड, समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम एवं अन्य जो समूह 1 और 2 में शामिल नहीं है।	रूपये 400/–	रूपये 230/–
4	ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर पाठयक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमिडियेट परीक्षा आदि	रूपये 400/–	रूपये 230/–

3. नियम कण्डिका क्रमांक 5.3 – फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

5.3.1 " विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएं, चिकित्सा–जाँच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जायेगा परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिपूर्ति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

5.3.2 भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.3 राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.4 अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज)/अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

19.6.15

5.3.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे. ई.ई. (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़े वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

5.3.6 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा। शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मेधावी छात्र योजना के समान, दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रूपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पांच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रूपये पच्चीस लाख होगी।

उपरोक्तानुसार आदेश शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19.6.18
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/एफ-12-3/2015/54-1 भोपाल दिनांक 19-06-2018

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

19.6.18
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक/ 785/2018/54-1 भोपाल दिनांक 9-7-2018

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये गए हैं।

शासन के आदेश कमांक एफ 12–1/2011/54–1 दिनांक 21.09.2016 द्वारा **प्रतिस्थापित नियमों के नियम कमांक 8 भुगतान– अंतर्गत कण्डिका 8.4 में संशोधन किया गया है। शासन द्वारा किये गये संशोधन में निम्नानुसार बिन्दु जोड़ा जाता है –**

8.4.1 प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में संचालित केवल बी.ई./एम.बी.बी.एस. पाठ्यकमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योजनांतर्गत स्वीकृत शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान सीधे शासकीय संस्थाओं के खाते में ऑनलाईन करते हुए अनुरक्षण भत्ता का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खातों में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जाए।

उपरोक्तानुसार आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9.7.18

(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 786/2018/54-1 भोपाल दिनांक 9-7-2018

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

9.7.18

अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग